भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

का

निष्कर्ष बजट

2014-15

पी आई/2014

निष्कर्ष बजट 2014-15

मांग संख्या – 46

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश	1-5
अध्याय- I प्रस्तावना	6-8
अध्याय - II वित्तीय परिव्यय तथा निष्कर्ष बजट 2014-15	9-15
अध्याय - III सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें	16-21
अध्याय – IV कार्य निष्पादन की समीक्षा	22-34
अध्याय - V वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान हुई वित्तीय समीक्षा	35-38
अध्याय – VI सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा	39-49
संक्षिप्त रूपों की सूची	50-51

निष्कर्ष बजट 2014-15

माँग संख्या-46

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

कार्यकारी सारांश

निष्कर्ष बजट, प्रत्येक स्कीम के लक्ष्यों को तय करने तथा प्रदेयताओं की मात्रात्मकता के निर्धारण द्वारा वित्तीय बजट के भौतिक आयामों को दर्शाने का एक प्रयास है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का वर्ष 2014-15 का निष्कर्ष बजट विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही छः योजना स्कीमों के संबंध में मंत्रालय के अध्यादेश तथा मुख्य गतिविधियों, 'परिव्यय' का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित 'निष्कर्षों' के साथ-साथ उनके पूर्व कार्य निष्पादन पर प्रकाश डालता है । खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों तथा की गई नीतिगत पहलों जैसे कि आयकर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि में दी गई राहतों के बारे में भी वर्णन किया गया है । कार्यान्वयन को गति प्रदान करने तथा परियोजनाओं की निगरानी/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सरलीकरण लाने, पारदर्शिता तथा ई-गवर्नेंस/प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी ब्यौरा दिया गया है । इस दस्तावेज में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय समीक्षा भी दी गई है ।

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन 785.86 करोड़ रुपए है जिसमें से 770.00 करोड़ रुपए योजना खर्च के लिए तथा 15.86 करोड़ रुपए गैर-योजना खर्च के लिए है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

➢ <u>अवसंरचना विकास स्कीम-</u> इसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात

i. <u>मेगा खाद्य पार्क (एमएफपी)</u>

स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । यह क्लस्टर आधारित पहुँच अपनाती है तथा पश्च एवं अग्र लिंकेजों को सुनिश्चित करती है । अंतिम अनुमोदन प्रदान की गई 18 परियोजनाओं में से, 2 आंशिक रूप से प्रचालनरत है तथा 3 परियोजनाओं के वर्ष 2014-15 तक पूरा हो जाने की संभावना है । प्रत्येक मेगा खाद्य पार्क से 6000 किसानों/उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 25000 से 30000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है । स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 तक 405.23 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं ।

ii. <u>शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम</u>

स्कीम में एकीकृत एवं पूर्ण शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु खेत से लेकर उपभोक्ता तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । अनुमोदित 121 परियोजनाओं में से, 40 पूरी हो चुकी हैं तथा 81 कार्यान्वयनाधीन हैं । इन 121 परियोजनाओं से 400264 मिट्रिक टन क्षमता के सीए/एमए/सामान्य शीतागार/प्रशीतन भंडारों, 668 प्रशीतित वाहनों तथा 97.8 मिट्रिक टन प्रति घंटा की आईक्यूएफ क्षमता और 107.57 एलएलपीडी दुग्ध प्रसंस्करण/भंडारण के सृजन का अनुमान है । स्कीम के अंतर्गत 30.06.2014 तक 341.93 करोड़ रुपए की संचयी राशि जारी की जा चुकी है । इसमें से, इस वित्तीय वर्ष में 30.06.2014 तक 58.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

iii. <u>बूचडखानों की स्थापना/आधुनिकीकरण</u>

स्कीम का मुख्य उद्देश्य पशुओं के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यकर तरीके से वध, अवशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण, चिलिंग सुविधा आदि उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना में सहायता करना है । 11वीं एवं 12वीं योजना के अंतर्गत अनुमोदित 27 बूचड़खाना परियोजनाओं में से 30.06.2014 तक 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 24 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है तथा 2 परियोजनाएं के इस वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है । स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 तक 77.19 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं ।

अवसंरचना विकास स्कीम के लिए वर्ष 2014-15 का कुल बजट अनुमान 315.00 करोड़ रुपए है जिसमें सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 36.49 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है ।

- <u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम</u>- **(11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)** इस स्कीम का उद्देश्य अनाजों, तिलहनों, राइस मिलिंग, फ्लोर एवं दालों सहित दूध, फल एवं सब्जी, माँस, पॉल्ट्री, मस्त्यिकी, वाइन, बेकरी उत्पादों तथा अनाज मिलिंग में नई क्षमताओं का सृजन एवं मौजूदा प्रसंस्करण क्षमता का उन्नयन करना है । इस स्कीम को 01.04.2012 से केंद्र प्रायोजित स्कीम- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है । 31.03.2012 तक प्राप्त मामलों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 1232 यूनिटों को 186.19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 996 यूनिटों को 162.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2014-15 को 160.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।
- <u>गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम</u>- इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लाभ के लिए (i) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, (ii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000/हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी), अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी) तथा अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां (जीएचपी) को अंगीकार करने और (iii) उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के संबंध में अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान, उन्नत पैकिंग, मूल्यवृद्धि इत्यादि के लिए अनुदान-सहायता दी जाती है । वर्ष 2013-14 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 35.33 करोड़ रुपए जारी किए गए थे । बजट अनुमान 2014-15 में स्कीम के लिए 36.00 करोड़ रुपए का आवंटन है । वर्ष 2013-14 के दौरान, 4 खाद्य परिक्षण प्रयोगशालाएं (एफटीएल), 3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थीं तथा 5 यूनिटों को हैसप/आईएसओ प्रमाणन के खर्च के प्रतिपूर्ति की गई थी । स्कीम के खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) तथा अनुसंधान एवं विकास घटकों का कार्यान्वयन क्रमशः कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि

मंत्रालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को सौंप दिया गया है । 31.03.2012 तक प्राप्त प्रस्तावों का निपटान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

- <u>मानव संसाधन विकास स्कीम</u>- (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं) स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों (एफपीटीसी) की स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपीज) आदि में खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2013-14 के दौरान स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए तीन विश्वविद्यालयों, तीन एफपीटीसी की स्थापना एवं 67 ईडीपी आयोजित करने के लिए 3.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए है ।
- <u>संस्थान सुदृढीकरण</u>- इस स्कीम के अंतर्गत कुंडली, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), तंजावुर, तमिलनाडु स्थित भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी); भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, पुणे, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के लिए अनुदान दिए जाते हैं । स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान 72.56 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था । वर्ष 2014-15 के लिए 75.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा गया है । इन स्वायत्तशासी निकायों के कार्यकलापों तथा कार्य निष्पादन की समीक्षा निष्कर्ष बजट के अध्याय-VI में की गई है ।
- <u>राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)</u>- इस स्कीम का कार्यान्वयन 12वीं योजना (2012-13) के अंतर्गत 1250 करोड़ रुपए के आवंटन से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में किया जा रहा है । वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान विभिन्न राज्यों को क्रमशः 186.19 करोड़ एवं 29.72 करोड़ रुपए जारी किए गए थे । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान हेतु 180.00 करोड़ रुपए का आवंटन है ।

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में कोई मुख्य बदलाव न आने पाए इसके लिए नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है । परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के साथ आवर्ती बैठकें की जाती हैं । विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत मंत्रालय से अनुदान-सहायता/सहायता के लिए खर्च के ब्यौरों के साथ-साथ विभिन्न आवेदनों की प्रक्रिया

की नियमित निगरानी को सुगम बनाने के लिए आवेदन प्राप्ति के स्तर से अनुदान सहायता संवितरित करने तक की सभी सूचना को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । आवेदनों की प्रक्रिया की स्थिति को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ।

*****

प्रस्तावना

खाद्य प्रसंस्करण में कृषि अथवा बागवानी उपज का किसी भी प्रकार का मूल्यवर्धन शामिल है और इसमें श्रेणीकरण, छंटाई, पैकेजिंग जिससे उत्पादों के उपयोगी बने रहने की क्षमता (शेल्फ लाइफ) बढ़ती है, भी शामिल है । खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण लिंकेज और सहक्रिया उपलब्ध कराता है । देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी । बाद में 15.10.99 की अधिसूचना सं. डॉक-सीडी-442/99 के द्वारा इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया । सितम्बर, 2001 में इसे एक बार पुनः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया ।

मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं-

(i) निम्नलिखित से संबंधित उद्योग:-

(क) कुछ कृषि उत्पादों जैसेकि मिल्क पाउडर, शिशु दूध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, संघनित दूध, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, मांस तथा मांस उत्पाद का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन ।

(ख) मछली प्रसंस्करण (डिब्बा बंदी और हिमीकरण समेत) ।

(ग) मछली प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विकास परिषदों की स्थापना एवं सेवाएं उपलब्ध कराना ।

(घ) मछली प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी सहायता तथा परामर्श ।

(ङ) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (हिमीकरण और निर्जलीकरण समेत) ।

(च) खाद्यान्न पिसाई (मिलिंग) उद्योग

(ii) डबल रोटी, तिलहन, आटा (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण ओर चॉकलेट उतपाद समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य वीनिंग फूड और निष्कर्षित खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की आयोजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेज ।

(iv) गैर-अल्कोहल युक्त बीयर समेत अन्य बीयर ।

(v) गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय ।

(vi) वातित जल/ शीतल पेय ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमाओं के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति तथा योजनाएं बनाने का काम करता है । एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा व्यापारीकरण, उपज का टिकाऊपन बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन, किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा कृषि खाद्यों के निर्यात के लिए बाजार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का मार्गदर्शन करने और सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है । मंत्रालय के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- कृषि उपज का बेहतर इस्तेमाल और मूल्यवर्धन करना ।
- कृषि खाद्य उपज के भण्डारण, ढुलाई और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी स्तरों पर अपव्यय को न्यूनतम करना ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश ।
- उत्पाद और प्रक्रिया विकास तथा बेहतर पैकेजिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना ।
- मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन, प्रोत्साहन पहल और सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
- खेत से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के अंतर को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन करना ।

मंत्रालय के कामकाज को मौटे तौर पर नीतिगत समर्थन, विकासात्मक पहल और प्रोत्साहन कार्यकलापों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु निम्निलखित पहल/ स्कीमों को सहायता देता रहा है:-

<u>नीतिगत समर्थन</u>

क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन ।

ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ।

ग) खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र से संबंधित टैरिफ ओर शुल्कों को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा देना ।

विकासात्मक पहलें

(क) आधुनिक अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता उपलब्ध कराना, अनुसंधान एवं विकास के आधार को व्यापक करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आदि में प्रबंधकों, उद्यमियों एवं दक्ष कामगारों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना ।

(ख) मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण हेतु, 12वीं योजना (2012-13) के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया गया है ।

(ग) विश्लेषण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता देना, खाद्य मानक तय करने के साथ-साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सक्रिय भागीदारी करना ।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए एक 'निवेशक पोर्टल' का सृजन किया गया है । मंत्रालय में सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम नामक चार्टर मार्क शुरू किया गया है ।

संवर्धनात्मक पहलें: देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जारूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित हेतु सहायता देता है-

क) कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं मेलों आदि के आयोजन के लिए

ख) अध्ययनों/ सर्वेक्षण आदि ।

.....

वित्तीय परिव्यय एवं निष्कर्ष बजट 2014-15

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना स्कीमों, का परिव्यय एवं निष्कर्षों का एक विवरण निम्नानुसार हैं:-

परिव्यय एवं निष्कर्षों का विवरण 2014-15

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम (योजना)	उद्देश्य/ निष्कर्ष	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रुपए)		परिमाण योग्य/ प्रदत्त योग्य/ भौतिक निर्गत	परिकल्पित बजट निष्कर्ष	प्रक्रियाएं/ समयावधि	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			(i)	(ii)				
			गैर - योजना बजट	योजना बजट				
1.	बुनियादी विकास संबंधी स्कीम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में बुनियादी सुविधा के सृजन में सहायता						
(i)	मेगा फूड पार्क		--	120.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15.375)	मेगा फूड पार्क- 40	मेगा फूड पार्क – यह खेत के छोटे आकार और प्रसंस्करण इकाइयों के लघु और मध्यम आकार से संबंधित मुद्दों पर पणधारकों द्वारा प्रबंधित आपूर्ति	सामान्यतः पहली किस्त जारी करने की तारीख से 30 महीनों के भीतर । हालांकि कार्यान्वयन भूमि की उपलब्धता, वित्त और अन्य संभार तंत्र सहायता	वापसी/ रद्दीकरण तथा अपस्केलन के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों/ भविष्य की रिक्तियों के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई हैं ।

						श्रृंखला के साथ झुण्ड आधारित पद्धति के माध्यम से ध्यान देगा।	पर निर्भर करता है ।	
(ii)	-शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा		--	160.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 17.745)	शीत श्रृंखला-121	यह संसाधन युक्त आपूर्ति श्रृंखला तथा शीत श्रृंखला के माध्यम से उत्पादक समूह का प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से सम्पर्क संभव बनाएगा । 942.06 करोड़ रुपए के अनुदान के सापेक्ष 1834.91 करोड़ रु. का निजी निवेश आकर्षित किया जाएगा।	वित्तीय समर्थन के लिए अनुमोदन जारी करने की तिथि से लगभग 24-30 माह	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के तहत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में गैर बागवानी उत्पादों समेकित शीत श्रृंखला, मूल्य वर्धन और परिरक्षण मूल संरचना की योजना को विलीन किया गया है ।
(iii)	बूचड़खानों की स्थापना/ आधुनिकीकरण			35.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.37)	11वीं योजना की 7 चल रहीं परियोजनाओं में से 2 पूरी हो जाएंगी और अन्य में प्रगति की गति में तेजी आएगी । 14 बूचड़खानों की स्थापना/	यह जानवरों की वैज्ञानिक एवं स्वच्छ विधि से कटाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण संभव करेगा । इसके अतिरिक्त बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा खुदरा शीत श्रृंखला प्रबंधन को भी	समय पर कार्यान्वयन, भूमि की उपलब्धता, वित्त और अन्य संभार तंत्र सहायता पर निर्भर करते हैं । स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन की समय-सीमा परियोजना के	12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रुप में इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके पश्चात 12वीं पंचवर्षीय योजना की

					आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदन दिया जाएगा ।	प्रोत्साहन दिया जाएगा।	अनुमोदन/ अंतिम अनुमोदन की तारीख से लगभग 24 महीने की है बशर्ते कि अनुमोदन समिति द्वारा इसे बढ़ाया न गया हो ।	शेष अवधि के लिए दिनांक 01.04.2014 से इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के माध्यम से किया जा रहा है ।
		कुल		**315.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 36.49)**				
2.	खाद्य प्रसस्करण उद्योगों की स्थापना/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	खाद्य प्रसस्करण यूनिटों की स्थापना/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए सहायता	--	160.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 16.00)	1000 से अधिक खाद्य प्रसस्करण यूनिटों को सहायता दी जाएगी ।	यह स्कीम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं आधुनिकीकरण में मदद करती है ।	खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों/उद्यमियों को सहायता दी गई है ।	यह स्कीम बैंकों के माध्यम से संचालित हो रही है जो किस्तों के संवितरण की सिफारिश करते समय परियोजना की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करने की अपेक्षा रखते हैं ।
3.	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप संबंधी स्कीम	स्कीम का लक्ष्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे का विकास करना और इस क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान की	--	36.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 6.00)	आर एण्ड डी परियोजनाएं – 20 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला –	उत्पाद और प्रक्रिया विकास में सुधार पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और अभिनव उत्पादों तथा वाणिज्यिक मूल्य के साथ प्रक्रियाओं के	टी.एस.सी. तथा पी.ए.सी. के अनुमोदन की विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आर एण्ड डी तथा एफटीएल	आर एण्ड डी परियोजनाओं का अनुमोदन विश्वविद्यालयों/ शोध एवं अनुसंधान संस्थानों/ निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं

		सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी,जीएमपी , जीएचपी समेत टीक्यूएम को अपनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना ।			10 एचएसीसीपी- 5	लिए अग्रणी । खाद्य परीक्षण अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन तथा खाद्य प्रसस्करण के बारे में जागरूकता पैदा करने और उत्पाद सुरक्षा को बढ़ानेके लिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना तथा उनके द्वारा उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा तथा उतपादों की ग्राह्यता में वृद्धि ।	परियोजनाएं अनुमोदित हैं। आर एण्ड डी परियोजनाएं 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित हैं । गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी,जीएमपी, जीएचपी को पीएसी के अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमोदन दिया जाता है तथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रश्चात व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान जारी किया जाता है 1	विकास प्रयोगशालाओं आदि से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है । यह स्कीम 01.04.2012 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है । 01.04.2012 से खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला स्कीम का कार्यान्वयन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से किया जा रहा है ।
4.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम(11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी स्तरों पर कुशल जन-शक्ति/कार्मिकों की आपूर्ति को सुगम बनाना ।	----	4.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.50)	3-डिग्री/डिप्लोमा 30-ईडीपी तथा 5-एफपीटीसी को प्रतिबद्ध देयताओं के प्रस्ताव हेतु	उद्यमियों को कारोबार स्थापित करने के लिए सक्षम करना । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए के लिए प्रशिक्षित और	परियोजना छानबीन समिति द्वारा प्रस्ताव की सिफारिशों के 6 महीने के पश्चात ।	स्कीम को 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के

					सहायता दी जाएगी ।	कुशल मानव शक्ति का सृजन करने हेतु खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ।		घटकों में से एक में विलय कर दिया गया है ।
5.	संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम (i) आईआईसीपीटी (भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान) (ii)एनएमपीपीबी (राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड) (iii)आईजीपीबी (भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड) (iv) एसएनए का प्रौद्योगिकी प्रभारी एवं वेतन (v) निफ्टेम (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान) (vi) सचिवालय आर्थिक सेवाएं	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन में कार्यरत संस्थानों को सहायता तथा खाद्य प्रसंस्करण में निफ्टेम तथा आईआईसीपीटी को एक ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान, नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास, उद्यमियों को लघु आवधिक प्रशिक्षणएवं दक्षता विकास आदि उपलब्ध कराना ।	3.00	75.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.01)	वर्ष 2014-15 में निफ्टेम द्वारा एम.टैक के 88 छात्रों के पहले बैच को उत्तीर्ण घोषित किया गया एवं बी.टैक में 180, एम.टैक में 90 और पी.एचडी में 20 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । वर्ष 2014-15 में आईआईसीपीटी द्वारा बी.टैक के दूसरे बैच को उत्तीर्ण घोषित किया गया एवं बी.टैक में 40, एम.टैक में 20 और पी.एचडी में 5 छात्रों को प्रवेश दिया गया	निफ्टेम को खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन तथा वैश्विक ज्ञान के साथ एक सम्पर्क केन्द्र बनना है । नोट: आईजीपीबी तथा एनएमपीपीबी को जारी रखने पर विचार किया जा रहा है ।		निफ्टेम खाद्य प्रौद्योगिकी में पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाला एक डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय है । आईआईसीपीटी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध एक संस्थान है । दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित है ।

					है । आईआईसीपीटी के बी-टैक पाठ्यक्रम में 36 छात्रों तथा एम-टैक में 10 छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया गया । निफ्टेम एवं आईआईसीपीटी द्वारा 1500 व्यक्तियों को लघुआवधिक प्रशिक्षण दिया जाना है ।			
6.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	एनएमएफपी का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है जिससे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की समुचित भागीदारी बढ़ेगी । एनएमएफपी में राष्ट्रीय मिशन की स्थापना और साथ	--	180.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 18.00)	एनएमएफपी के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 11 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 29.72 करोड़ रुपए की निधियां हस्तांतरित की गईं थीं । हालांकि, वर्ष	यह वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । एनएमएफपी से परियोजनाओं की अवस्थिति तथा लाभार्थियों के चयन में लचीलापन आएगा। इस प्रकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य	मूल्य श्रृंखला के संस्थागत तथा अवसंरचनात्मक अंतरालों को संबोधित करने के लिए राज्यों को सहायता देना ओर इस प्रकार दक्ष आपूर्ति श्रृंखला बनाना । कटाई पश्चात प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण	

		ही साथ राज्य तथा जिला स्तर पर तदनुरूपी मिशनों की स्थापना का विचार है । एनएमएफपी से विभिन्न स्कीमों की योजना, पर्यवेक्षण तथा निगरानी के संबंध में मंत्रालय की आउटरीच में व्यापक सुधार होने की संभावना है ।			2014-15 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को और अनुदान सहायता जारी करना उन्हें वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी की गई निधियों के उपयोग पर निर्भर करेगा ।	प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का दायरा बढ़ेगा । एनएमएफपी का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी क्षेत्रों में बेहतर कवरेज के लिए राज्य मिशनों के माध्यम से असंख्य लाभार्थियों तक पहुँचने की संभावना है ।	उद्योग दोनों की जरूरतें पूरी करने के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण ओर उद्यमशीलता के प्रयासों का बढ़ावा देना ।	
	महायोग		**3.00**	**770.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 77.00)**				

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें

भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों[1] की घोषणा की है । मुख्य प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:-

1. <u>आयकर</u>

व्यय के लिए कटौती: अगर कोई निवेश पूरी तरह और विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट व्यापार (विवरण नीचे दिया गया है) के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के तहत निवेश हेतु व्यय के संबंध में कटौती की अनुमति होगी । हालांकि कटौती की अनुमति तभी होगी जब निवेश पिछले वर्ष में किया गया हो और व्यापार के परिचालन आरंभ होने से पूर्व किया गया हो ।

<u>व्यवसाय में 150% तक कटौती की अनुमति</u> (यह सुविधा उन्हीं कर दाताओं को होगी जिन्होंने अपना व्यवसाय 1.4.2012 से पहले शुरू किया है)

(अ) शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन

(ब) कृषि उपज के भंडारण के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा की स्थापना

<u>प्रचालन व्यवसाय में 100% तक कटौती की अनुमति</u>

(स) शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन

(द) चीनी के भंडारण के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा की स्थापना और प्रचालन

लाभ में से कर की कटौती: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईबी (11ए) के तहत (अर्थात किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा वर्तमान में अस्तित्व किसी व्यवसाय का पुननिर्माण न हो) फलों, सब्जियों, मांस और मांस से बने उतपाद, पोल्ट्री,समुद्री उत्पाद, डेरी उत्पाद के संसाधन, संरक्षण या पैकिंग के क्षेत्र में नई इकाई की शुरूआत करने वालों को आय से कटौती का दावा करने की अनुमति होगी ।

1 दर्शाए गए प्रोत्साहन दृष्टात्मक हैं । प्रोत्साहनों तथा उनके दायित्वों का ब्यौरा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं एवं संबंधित अधिनियम से प्राप्त किया जा सकता है ।

इस कर के प्रोत्साहन के तहत व्यवसाय के परिचालन के बाद से पहले पांच सालों में 100% कर छूट होगी, और इसके बाद यह छूट लाभ के 25% पर और कम्पनी के मामले में 30% छूट होगी । इसका लाभ व्यवसाय शुरू होने के बाद से पहले 10 वर्ष तक सिर्फ उनहें प्राप्त होगा जिन्होंने अपना व्यवसाय 1 अप्रैल, 2001 को या इसके बाद शुरू किया गया हो ।

मांस, मांस से बने उत्पाद, पोल्ट्री समुद्री उत्पाद या डेरी उत्पाद से संबंधित कोई व्यवसाय अगर 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद शुरू किया गया है, उपरोक्त लाभ उपलब्ध होंगे लेकिन उन व्यवसायों को यह लाभ उपलबध नहीं होगा जो 01.04.2009 से पहले ऐसे व्यावसाय से जुड़े हैं ।

2. <u>सेवा कर</u>

(i) ऋणात्मक सूची: वित्त अधिनियम, 1994 के तहत उन मदों पर जो ऋणात्मक सूची में दज्र होते हैं उन पर सेवा कर नहीं लिया जाता है । ये सेवाएं इस प्रकार हैं:

इन सेवाओं में एक कृषि फार्मपर होने वाले प्रक्रम शामिल हैं, जो हैं टैंडिंग, छंटाई, कटाई, फसल कटाई, सुखाना, ट्रिमिंग, धूप में सुखाना, धुंआ दिखाना, कयोरिंग, छांटना, ग्रेडिंग, कूलिंग या थोक पैकेजिंग और प्रचालन जेसे काय्र जिन से कृषि उपज की अनिवार्य विशेषताओं में बदलाव नहीं होता किन्तु यह प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योगय बनाई जाती है ।

(संदर्भ: वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय पांच की धारा 66 डी (डी) (iii))

(ii) छूट की श्रेणियां:

वित्त मंत्रालय ने 20.06.2012 को जारी अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की है:

(अ) उक्त प्रयोजनों के लिए शीत भंडारण सहित उपज के लिए कटाई पश्चात भंडारण मूल संरचना से जुड़े मूल कार्यो का निर्माण, इरेक्शन, कमिशनिंग या स्थापना ।

(ब) अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के अलावा खाद्य पदार्थों के रूप में संसाधन कृषि उपजों की इकाइयों के लिए यांत्रिक खाद्यान्न हैडलिंग प्रणाली, मशीनरी या उपकरण ।

(स) सामान के वाहक में फलों, सबिजयों, दालों अंडों, दूध, खाद्यान्न या दालों के परिवहनहेतु सामान परिवहन एजेंसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।

(द) कृषि उपजों की लदाई, उतराई, पैकिंग भंडारण या वेयाहाउसिंग की सेवाओं पर सेवाकर की देयता नहीं है ।

(संदर्भ: वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय पांच की धारा 93 के तहत-सेवाकर से छूट प्रदान करने के अधिकार, दिनांक 20 जून, 2012 की सेवा कर अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर द्वारा जारी)

3. <u>सीमा शुल्क</u>

(i) सरकार ने निर्यात परियोजना के लाभ अग्रलिखित परियोजनाओं तक विस्तारित किए गए हैं :

(अ) यांत्रिक खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली और 'मंडियों'में पैलेट रैकिंग प्रणाली तथा खाद्यान्न और चीनी के लिए वेयरहाउस की स्थापना हेतु परियोजना ।

(ब) कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गी, जलीय और समुद्री उपज तथा मांस के संरक्षण, भंडारण या संसाधन के लिए औद्योगिक परियोजनाएं या शीत भंडारण, कोल्ड रूम (फार्म स्तर की पूर्व कूलिंग सहित) परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएं जो खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के भाग के रूप में आयात की जाती है, चाहे उनका प्रशुल्क कोई भी हो, उन्हें 5% के रियायती मूलभूत सीमाशुल्क पर एक समान आकलन की पात्रता होगी ।

(संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2012 दिनांक 17.3.2012)

(ii) अखरोट पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 10% किया गया । (संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2013 दिनांक 1.3.2013)

(iii) जई अनाज पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 15% किया गया।(संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2013 दिनांक 1.3.2013)

4. <u>केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</u>

खाद्य उत्पाद:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दी है । कुछ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद मदों पर शुल्क ढांचा इस प्रकार है:-

(i) दूध, दुग्ध उत्पादों (अध्याय-4), सब्जियां (अध्याय-7), मेवे एवं फल, ताजे एवं सूखे (अध्याय-8) पर कोई शुल्क नहीं ।

(ii) 12% के मानक शुल्क के विरुद्ध प्रसंस्कृत फलों एवं सबिजयों (अध्याय-20) पर गुणवत्ता के आधार पर बिना सीईएनवीटी के 2% या सीईएनवीटी के साथ 6% की दर लगाई जाती है ।

(iii) सोया दुग्ध पेय, पशु मूल का फ्लेवर्ड दुग्ध में भी बिना सीईएनवीटी के 2% या सीईएनवीटी के साथ 6% की दर लगाई जाती है ।

(iv) "निर्मित टैपियोका स्टार्च और कारखाने के अंदर ही सिर्फ साबूदाना के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए" पर सीमा शुल्क और बजट 2013-14 में साबूदाना पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया गया । (संदर्भ: अधिसूचना सं. 12/2013-केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1.3.2013)

(v) माँस, पॉल्ट्री, फल, नट अथवा सब्जियों को तैयार करने में इस्तेमाल की जानी वाली मशीनरी तथा वाइन, सीडर, फलों के जूस अथवा समान पेय पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल की जानी वाली समान मशीनरी एवं पैकिंग मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है । (संदर्भ: अधिसूचना सं. 12/2014- उत्पाद शुल्क दिनांक 11.07.2014)

खाद्य प्रसंस्करण की मशीनें:

(i) शीत गृहों की स्थापना के लिए उपयोग में आने वाली मशीनें एवं उनके पुर्जे, कृषि संबंधी, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेरी, पोल्ट्री, जलीय एवं समुद्री उत्पाद एवं मांस के संरक्षण, भंडारण, परिवहन या संसाधन के लिए ठंडे कमरे या प्रशीतित वाहनों को उत्पाद शुल्क देने से छूट प्रदान की गई है ।

(ii) डेरी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली पश्च्युरिंग करने वाली, सुखाने वाली, वाष्पन करने वाली इत्यादि मशीनों को उत्पाद शुल्क देने से छूट प्रदान की गई है ।

(संदर्भ: अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 17.3.2012)

5. संस्थानिक सुधार:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में 12वीं योजना (2012-17) के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू की है । एनएमएफपी का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की स्कीम के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है जिससे राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की समुचित भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा । एनएमएफपी राज्य तथा जिला स्तर पर संबंधित मिशनों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की इच्छा रखता है । एनएमएफपी से योजना, मॉनीटरिंग तथा विभिन्न स्कीमों की निगरानी के अर्थों में मंत्रालय की आउटरीच में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है ।

(ख) सरलीकरण/ पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस:-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परियोजनाओं के अनुमोदन को गति प्रदान करने के लिए जांच बिन्दु/ जांच सूचियों का निर्धारण किया गया है ।
- निर्धारित परियोजनाओं की निकासी की समय-सीमा ।

- परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मानक प्रोफार्मा ।
- अनुमोदन समिति की बैठकों में वृद्धि ।
- दिशानिर्देशों का निर्धारण, प्रकाशन तथा राज्यों को परिचालन ।
- पणधारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना ।
- मंत्रालय में प्रस्तावों पर डाटाबेस को प्रचालनरत किया गया ।
- विषय-वस्तु के अतिप्रभावी प्रबंधन तथा सामान्य सूचना मंच उपलब्ध कराने के लिए इंट्रा- एफपीआई विकसित किया गया । राज्यों/फर्मों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग शुरू की गई ।
- विषय-वस्तु के अधिक प्रभावी प्रबंधन तथा सामान्य सूचना मंच हेतु इंट्रा एफपीआई विकसित किया गया है ।
- खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए "कृषि व्यवसाय में अवसर: राज्य रूपरेखा") या अपॉर्च्युनिटीस इन एग्री बिजिनेस: स्टेट प्रोफाइल") पर एक किताब का विमोचन किया है तथा "निवेशकों के लिए पोर्टल" की शुरूआत की है । "निवेशकों के लिए पोर्टल" के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया द्वारा निवेशकों से क्षेत्र विशिष्ट प्रश्नों का समाधान किया जाता है ।
- मंत्रालय ने सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता दर्शाने के लिए सेवोत्तम, चार्टर मार्क की शुरूआत की गई है ।

4--306 मिनि. ऑफ एफ पी आई/2014

कार्य निष्पादन की समीक्षा

स्कीमवार भौतिक निष्पादन-2013-14

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	भौतिक निष्पादन		
		भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	परिवर्तनों के कारण
1.	बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-75 बूचड़खाने-10	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-66 बूचड़खाने-17	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या समुदाय या क्षेत्र विशेष उन्मुखी । मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता उद्यमियों/ संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर आधारित है । इसलिए उपलब्धियों की कमी व्यवहार्य प्रस्तावों के न प्राप्त होने के कारण हैं । सीसीईए ने अपनी 08.08.2013 को हुई बैठक में 75 शीत श्रृंखला परियोजनाएं शुरू करने के लिए चौथे चरण में शीत श्रृंखला स्कीम के अपस्केलन का अनुमोदन दिया है । इनमें से 66 परियोजनाओं को दिनांक 07.05.2012 की ईओआई के प्रत्युत्तर में प्राप्त पात्र प्रस्तावों में से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है । लगभग 15 रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 02.12.2013 को एक ईओआई जारी किया गया था । इसके प्रत्युत्तर में 153 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो छान-बीन के विभिन्न चरणों में हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान 17 बूचड़खाना परियोजनाएं अनुमोदित हुई थीं । 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित 10 बूचड़खाना परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं वर्ष 2013-14 तक पूरी हो गई थीं । एचआरडी के प्रस्तावों की प्रक्रिया 11वीं योजना अवधि की प्रतिबद्ध देयताओं में से की जा रही है और 12वीं योजना में मंत्रालय में कोई नए प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	600	996	
3.	गुणवतता आश्वासन, कोडेक्स, मानक तथा अनुसंधान व विकास एवं अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम	आर एण्ड डी-15 प्रयोगशाला-9 हैसप-7	आर एण्ड डी-38 प्रयोगशाला-14 हैसप-5	
4.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	इन्फ्रा-5 ईडीपी-100 एफपीटीसी-10	इन्फ्रा-5 ईडीपी-67 एफपीटीसी-3	

				कर दिया गया है ।
5.	संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम	निफ्टेम, आईआईसीपीटी, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी और एसएनए को संस्थागत समर्थन ।		वर्ष 2013-14 में निफ्टेम द्वारा बी.टैक में 174, एम.टैक में 89 और पी.एचडी में 9 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक में 6 तथा एम-टैक में 1 सीट नहीं भरी जा सकी । चयनित छात्र द्वारा प्रवेश नहीं लेने के कारण पीएचडी की 1 सीट नहीं भरी जा सकी । वर्ष 2013-14 में आईआईसीपीटी द्वारा बी.टैक के पहले बैच को उत्तीर्ण घोषित किया गया एवं बी.टैक में 39, एम.टैक में 20 और पी.एचडी में 4 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । एसटी छात्र की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक की 1 सीट नहीं भरी जा सकी । उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण पीएचडी की 1 सीट नहीं भरी जा सकी ।
6.	खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएफपी)	32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी करना ।	11 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी की गई ।	यह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भारत सरकार के हिस्से एवं तदनुरूपी राज्य/ संघ राजय क्षेत्र सरकारों के हिस्से के उपयोग पर निर्भर है । चूंकि यह एक नई स्कीम है इसलिए राज्य/ संघ राज्य सरकारों एनएमफपी के कार्यान्वयन के लिए नई संरचनाओं की स्थापना कर रही हैं । इसलिए उपलब्धियां भौतिक लक्ष्यों से कम हैं ।

स्कीमवार भौतिक निष्पादन

2012-13

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	भौतिक निष्पादन		
		भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	परिवर्तनों के कारण
1.	बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	मेगा फूड पार्क-30 शीत श्रृंखला-79 बूचड़खाने-10	मेगा फूड पार्क-30 शीत श्रृंखला-66 बूचड़खाने-2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या समुदाय या क्षेत्र विशेष उन्मुखी । मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता उद्यमियों/ संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता पर आधारित है । तदनुसार, उपलब्धियों में कमी का कारण व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना है ।
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	450	1232	
3.	गुणवतता आश्वासन, कोडेक्स, मानक तथा अनुसंधान व विकास एवं अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम	आर एण्ड डी –20 लैब – 10 एचएसीसीपी - 08	आर एण्ड डी–43 लैब – 8 एचएसीसीपी –5	
4.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	इन्फ्रा-10 ईडीपी-100 एफपीटीसी-15	इन्फ्रा-3 ईडीपी-62 एफपीटीसी-8	
5.	संस्थानों को सुदृढ करने संबंधी स्कीम	निफ्टेम, आईआईसीपीटी, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी और एसएनए को संस्थागत समर्थन ।		वर्ष 2012-13 में निफ्टेम द्वारा बी.टैक में 115, एम.टैक में 88 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । एससी/एसटी छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक में 5 तथा एम-टैक में 2 सीटें नहीं भरी जा सकी । वर्ष 2012-13 में आईआईसीपीटी द्वारा बी.टैक में 40, एम.टैक में 10 और पी.एचडी में 5 छात्रों को प्रवेश दिया गया है ।

कार्य-निष्पादन का स्कीम-वार ब्यौरा

अवसंरचना विकास स्कीम– खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचनात्मक बाधाओं की समस्याओं के समाधान के क्रम में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 11वीं योजना से अवसंरचना विकास हेतु एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । वर्ष 2014-15 के दौरान अवसंरचना विकास स्कीम हेतु कुल योजना परिव्यय 315.00 करोड़ रुपए है । अवसंरचना विकास स्कीम निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:-

मेगा फूड पार्क स्कीम–मेगा खाद्य पार्क स्कीम में सहायक अवसंरचनातथासुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ अत्याधुनिक संरचना सुविधाओं से युक्त सुस्पष्ट कृषि/ बागवानी प्रसस्करण जोन की परिकल्पना की गई है । सरकार ने 11वीं एवं 12वीं योजना के दौरान 42 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना को अनुमोदन दिया है । अर्थात् पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में 27 । सरकार द्वारा स्वीकृत की गई कुल 42 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं में से मंत्रालय द्वारा 40 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं की स्थापना को अनुमोदन दिया गया है । इनमें से 18 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 22 परियोजनाओं को सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है । अंतिम रूप से अनुमोदित 18 परियोजनाओं में से 2 आंशिक रूप से प्रचालनरत हैं, 3 परियोजनाएं कार्यान्वयन की अग्रिम अवस्था में हैं तथा उनके इस वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 86.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़कर 93.20 करोड़ रुपए हो गया । वर्ष 2012-13 के दौरान 93.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 116.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 110.25 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 94.08 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 120.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।

शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक/ निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 11वीं योजना के दौरान एक योजना स्कीम शुरू की थी । पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अंतरालों को भरना, शीत श्रृंखला अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा जैविक उत्पाद, समुद्री, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी हेतु प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ मूल्यवृद्धि स्थापित करना है ।

मंत्रालय ने अब तक 121 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है । इनमें से, 37 परियोजनाएं वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत हो गई हैं, 19 परियोजनाओं ने 25% प्रगति की है, 27 परियोजनाओं ने 75% प्रगति की है तथा शेष परियोजनाएं

कार्यान्वयनाधीन हैं । इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के दौरान 11वीं योजना के वित्तीय सहायता के पैटर्न के अनुसार 75 नई शीत श्रृंखला परियोजनाओं को शुरू करते हुए स्कीम के अपस्केलन का अनुमोदन दिया गया है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 86.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 81.37 करोड़ रुपए हो गया तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 81.19 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 100.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़कर 103.75 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 103.73 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 160.00 करोड़ रुपए रखा गया है । इस वित्तीय वर्ष में 30.06.2014 तक 58.68 करोड़ जारी किए जा चुके हैं ।

<u>बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण</u>:- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए बूचड़खानों की स्थापना तथा मौजूदा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्कीम शुरू की गई थी । स्कीम का कार्यान्वयन स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं तथा पंचायतों)/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सहकारी संघों/ सरकार के अंतर्गत बोर्डों के सहयोग से किया जा रहा है तथा पीपीपी आधार पर निजी निवेशकों के निवेश के लिए लचीलापन भी अपनाया गया है । स्कीम के उद्देश्य हैं:-

- पशुओं का वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यकर तरीके से वध
- पशुवध अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
- पशुओं का अति मानवीय उपचार/ पशुओं का न्यूनतम परिवहन
- बेहतर उप-उत्पाद उपयोग/ मूल्यवृद्धि
- बध किए गए पशुओं में सूक्ष्म जैवीय प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रशीतन सुविधा उपलब्ध कराना
- बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा खुदरा शीत श्रृंखला प्रबंधन
- तैयार किए गए मांस एवं मांस उत्पादों के लिए बेहतर अग्र लिंकेज सुविधा

11वीं योजना की 8 चल रही परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं को जोड़कर 25 नए बूचड़खानों की स्थापना तथा 25 मौजूदा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए स्कीम के अपस्केलन के लिए 330.84 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत का अनुमोदन दिया गया है । अपस्केल की गई स्कीम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो अर्थात वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है । इसके पश्चात, चूंकि अधिकांश प्रस्ताव नगर पालिका निकायों से प्राप्त

हुए हैं जो कि राज्य सरकारों से निकटता जुड़े हुए हैं अतः 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए बूचड़खानों की स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के माध्यम से किया जाना है।

12वीं योजना के दौरान 17 बूचड़खाना परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 31.03.2014 तक प्राप्त हुए लंबित प्रस्तावों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 19.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 9.62 करोड़ रुपए हो गया तथा इसके प्रत्युत्तर में वर्ष 2012-13 के दौरान 9.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 31.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 27.72 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 26.68 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 35.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम- (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)</u>

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय 9वीं योजना की शुरूआत से ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है जिसका लक्ष्य उपभोक्ता, बेकरी, डेयरी, मछली, मदिरा और बीयर, फलों एवं सब्जियों, मांस तेल, दाल, चावल तथा आटा मिलें जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन तथा मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना है । स्कीम के उद्देश्य प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करना, बर्बादी में कमी,मूल्यवृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात बढ़ाना है जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास होगा । इस स्कीम के अंतर्गत फलों एवं सब्जियों, दूध,मछली, अनाज, मांस, पॉल्ट्री आदि समेत खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र के सभी खण्डों के लिए अनुदान-सहायता के रूप में सहायता को बढ़ाया गया है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है जिसका कार्यान्वयन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है । 31.03.2012 तक प्राप्त हुए मामलों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । वर्ष 2012-13 और 2013-14 में किए गए खर्च तथा सहायता प्राप्त मामलों का उप-क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	2012-13		2013-14	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
खाद्य पदार्थ	93	15.95	191	31.86
डेयरी	26	4.48	84	15.29
मछली	17	3.70	25	5.78
आटा	37	7.37	12	2.10
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	56	10.61	231	36.33
मांस	2	0.33	22	4.89
तेल	134	21.82	69	10.64
दालें	60	6.88	25	3.20
चावल	801	110.55	322	47.56
वाइन एवं बीयर	1	0.25	9	1.69
लघु मिशन-IV	5	4.26	6	2.74
कुल	1232	186.19	996	162.08

स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 100.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़कर 186.46 करोड़ रुपए हो गया तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 186.19 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 160.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़कर 163.92 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 162.08 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 160.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।

<u>गुणवत्ता आश्वासन स्कीम:-</u>

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास एवं अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है:-

(क) गुणवत्ता/ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-एचएसीसीपी/ आईएसओ 22000, 9000/ जीएचपी/ जीएमपी:- खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ खाद्य प्रसस्करण उद्योगों द्वारा आईएसओ 22000, आईएसओ 9000, हैजार्ड एनालिसिस

एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंटस (एचएसीसीपी), अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी), अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां (जीएचपी) जैसी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रणालियों को अपनाने/ कार्यान्वयन के लिए एक योजना स्कीम का संचालन कर रहा है:

- उत्तर डब्ल्यूटीओ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उद्योग को तैयार करना ।
- स्वास्थ्यकर मानदंडों में कठोर गुणवत्ता अपनाने में समर्थ करना जिससे उपभोक्ता की सुरक्षा हो सके ।
- विदेशी खरीदारों द्वारा उत्पादों की स्वीकृति में बढ़ोत्तरी करना ।
- भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों की तकनीकी जानकारियों से लैस किए रहना ।

हैसप/आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान पांच खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी गई है।

(ख) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन-खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में गुणवत्ता एवं सुरक्षा तंत्र लाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/स्थापना/नेटवर्किंग इसमें से एक कदम है । खाद्य मदों के परीक्षण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा अन्य पणधारियों को सामान्य सुविधा प्रदान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों से एक योजना स्कीम संचालित कर रहा है:-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य पणधारियों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना ।
- नमूनों के परिवहन में लगने वाले समय को कम करते हुए नमूनों के विश्लेषण के लिए समय को कम करना ।
- खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं संरचना की मानिटरिंग के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, मंत्रालय ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए 14 संगठनों (आईसीएआर के माध्यम से 9 संगठन सहित) को सहायता दी है ।

(ग) **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आर एंड डी कार्यक्रम**- इस स्कीम का उद्देश्य वाणिज्यिक मूल्य के साथ नए उत्पाद एवं प्रसंस्करण हेतु प्रक्रिया विकास, उन्नत तथा मूल्यवर्धन के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अंतिम उत्पाद/उत्पादन/आर एंड डी कार्य के परिणाम से लाभ होना चाहिए । स्कीम का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास कार्य का अंत्य उत्पाद/निष्कर्ष/खोजबीन

5--306 मिनि. ऑफ एफ पी आई/2014

से उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास, उन्नत पैकिंग तथा मूल्यवृद्धि को आगे बढ़ाते हुए नवोन्मेषित उत्पादों तथा वाणिज्यिक मूल्य सहित प्रक्रियाओं को लाभ पहुँचाना है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रालय द्वारा 38 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (32 डीएसटी के अंतर्गत विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के जरिए सहित)

(घ) **अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप**

मंत्रालय की संवर्धनात्मक गतिविधियां सूचना के प्रसार, उत्पादन तथा पैकेजिंग की आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ मौजूदा तथा संभावित उद्यमियों को परिचित कराते हुए बाजार के विकास एवं उत्पादों लोकप्रिय बनाने के माध्यम से जागरूकता लाकर प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास पर लक्षित है जो गोष्ठियों/ कार्यशालाओं तथा मेलों/ प्रदर्शनियों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभाव्यता के आकलन के लिए अध्ययनों/सर्वेक्षणों आदि द्वारा निवेश भी आकर्षित करती है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान मंत्रालय ने 8 प्रदर्शनियों (राष्ट्रीय) में भाग लिया तथा 19 आयोजनों (सेमीनार/कार्यशालाएं) को मंत्रालय द्वारा सहायता दी गई थी । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने वर्ष 2013-14 के दौरान 9 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया है ।

गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीमों के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान 35.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 31.91 करोड़ रुपए कर दिया गया था । वर्ष 2012-13 के दौरान 31.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 35.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 35.66 करोड़ रुपए कर दिया गया था । इसके मुकाबले मंत्रालय ने 35.33 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान को 36.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

<u>मानव संसाधन विकास स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)</u>

मानव संसाधन विकास स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रत्येक स्तरों जैसे कि उद्यमियों, प्रबंधकों, बिक्रीकर्ताओं तथा कामगारों आदि पर प्रशिक्षित जनशक्ति/कार्मिकों की आपूर्ति को बढ़ाना है । इस स्कीम को 12वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया

है । हालांकि 11वीं योजना अवधि (31.03.2012 तक) प्राप्त/अनुमोदित चालू परियोजनाओं पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी)- ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास करना और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन उत्पाद सह प्रशिक्षण केंद्रों में "व्यावहारिक अनुभव" प्रदान करते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना । ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर फल और सब्जी प्रसंस्करण में दक्षता और उद्यमशीलता का विकास करने के लिए मंत्रालय ने स्थापना की तारीख से 31.03.2014 तक 622 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों (एफपीटीसी) की स्थापना के लिए सहायता दी है । वर्ष 2013-14 के दौरान 3 केंद्रों को स्थिर पूँजी के रूप में 12.00 लाख रुपए तथा 10 एफपीटीसीज को मूल पूँजी के रूप में 19.83 लाख रुपए की अनुदान-सहायता जारी की गई है ।

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)- मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकारों/संगठनों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य नोडल एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षुओं को प्रौद्योगिकी एवं विपणन समेत परियोजना प्रतिपादन और प्रबंधन का मूल ज्ञान प्राप्त कराना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना, उपलब्ध अवसरों ओर वित्तीय सहायता तथा विकासात्मक संगठनों से उपलब्ध अन्य समर्थन सेवाओं के बारे में शिक्षित करना और उन्हें मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण सेवाओं तथा विकासात्मक संगठनों से अन्य सहायता सेवा का लाभ उठा सकें । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की अवधि 12 महीनों की अनुवर्ती कार्रवाई चरण के साथ कम-से-कम 25 प्रशिक्षुओं सहित 6 सप्ताह की है । प्रत्येक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2012-13 के दौरान 62 नई ईडीपीज और ईडीपीज को जारी रखने के लिए दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में अनुदान-सहायता के लिए 236.40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 67 नई ईडीपीज और ईडीपीज को जारी रखने के लिए दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में अनुदान-सहायता के लिए 236.40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता- मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों, विख्यात विश्वविद्यालयों/कालेजों, तकनीकी संस्थानों जैसे शिक्षण संस्थानों को बुनियादी ढांचा, विकास संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है । इस कार्यक्रम के उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों और उद्यमियों का विकास करने का है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए वर्तमान कार्मिकों की दक्षता का उन्नयन करेगा और गुणवत्ता प्रबंधन में मानव शक्ति का विकास करेगा । इस स्कीम के अंतर्गत मानव संसाधन विकास संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता की मात्रा प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए उपकरणों, प्रयोगशाला पायलट संयंत्रों, पुस्तकालय और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं जैसी बुनियादी ढांचा ओर विकास सुविधाओं के सृजन के लिए दो समान किस्तों में 75 लाख रुपए तक है । वर्ष 2012-13 के दौरान 3 नए संस्थानों तथा पूर्व में अनुमोदित संस्थानों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 106.70 लाख रुपए की राशि जारी की गई है और वर्ष 2013-14 के दौरान 3 नए संस्थानों एवं पूर्व में अनुमोदित संस्थानों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 134.88 लाख रुपए की अनुदान-सहायता दी गई है ।

मानव संसाधन विकास स्कीम के लिए वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 4.00 करोड़ रुपए था तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 3.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए था तथा संशोधित अनुमान के स्तर पर यह बढ़कर 4.20 करोड़ रुपए हो गया था । वर्ष 2013-14 के दौरान 3.78 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।

<u>संस्थान सुदृढीकरण</u>

यह स्कीम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए मौजूदा सांस्थानिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा नए की स्थापना और साथ-ही-साथ अंगूर प्रसंस्करण, माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण में विकासात्मक कार्यकलाप शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित करती है और इसके निम्नलिखित घटक है:-

- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना ।
- भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) का सुदृढ़ीकरण ।
- भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ।

• राष्ट्रीय माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी) ।

इन संस्थानों का ब्यौरा अध्याय VI में दिया गया है ।

<u>केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12वीं योजना (2012-17) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु एक केंद्र प्रायोजित स्कीम- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरूआत की थी । एनएमएफपी का प्राथमिक उद्देश्य मंत्रालय की स्कीमों के कार्यन्वयन में राज्य/संघ राज्य सरकारों की व्यापक भागीदारी से विकेंद्रीकरण करना है । एनएमएफपी में एक राष्ट्रीय मिशन और राज्य एवं जिले स्तर पर तदनुरुपी मिशनों की स्थापना का विचार है । एनएमएफपी से विभिन्न स्कीमों की योजना, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के संबंध में मंत्रालय की आउटरीच में व्यापक रूप से सुधार होने की संभावना है ।

एनएमएफपी के अंतर्गत 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्नानुसार है:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम ।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम ।

(iii) बूचड़खाना स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम (2014 -2015 से कार्यान्वित किए जाने हेतु) ।

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी) ।

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन ।

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी) ।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता-सह जागरुकता कार्यक्रम ।

(v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

(क) सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना ।

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता देना ।

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार ।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों के सृजन हेतु स्कीम ।

(vii) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण ।

(viii) रीफर वाहन ।

(ix) पुराने खाद्य पार्क ।

<u>31.03.2014 तक एनएमएफपी की स्थितिः</u>

(i) 12वीं योजना के दौरान एनएमएफपी के कार्यान्वयन हेतु कुल आवंटन 1250.00 करोड़ रुपए है ।

(ii) वर्ष 2012-13 के लिए एनएमएफपी का बजट अनुमान 250.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 185.32 करोड़ रुपए कर दिया गया था । वर्ष 2012-13 के दौरान 182.90 करोड़ रुपए जारी किए गए थे ।

(iii) वर्ष 2013-14 के लिए एनएमएफपी का बजट अनुमान 187.00 करोड़ रुपए था जिसे घटाकर 30.50 करोड़ रुपए कर दिया गया था । एनएमएफपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 29.72 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

(iv) वर्ष 2014-15 के लिए एनएमएफपी के बजट अनुमान आवंटन को 180.00 करोड़ रुपए रखा गया है ।

<u>पूर्वोत्तर की परियोनाओं के लिए सहायता</u>

सरकार की नीति के अनुसार वार्षिक योजना परिव्यय में से कम-से-कम 10% सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं पर उपयोग के लिए नियत किया जाना चाहिए । तदनुसार, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए योजना राशि का आवंटन करता रहा है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 770.00 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय के 10% अर्थात 77.00 करोड़ रुपए का प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के उपयोग के लिए नियत किया गया है ।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 की वित्तीय समीक्षा

स्कीम-वार व्यय का रुझान और बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं	स्कीम का नाम	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15
		ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.
क.	योजना										
	अवसंरचना विकास स्कीम										
(क)	मेगा खाद्य पार्क	110.00	94.39	83.53	86.00	93.20	93.12	116.00	110.25	94.08	120.00
(ख)	शीत श्रृंखला	110.00	89.99	82.64	86.00	81.37	81.19	100.00	103.75	103.73	160.00
(ग)	बूचड़खाना	80.00	4.62	4.00	19.00	9.62	9.58	31.00	27.72	26.68	35.00
	कुल	**300.00**	**189.00**	**170.17**	**191.00**	**184.19**	**183.89**	**247.00**	**241.72**	**224.49**	**315.00**
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकीउन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम	98.00	185.47	179.13	100.00	186.46	186.19	160.00	163.92	162.08	160.00
3.	गुणवता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आर एंड डी तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम	45.00	43.52	40.30	35.00	31.91	31.34	35.00	35.66	35.33	36.00
4.	मानव संसाधन विकास स्कीम	15.00	14.50	13.69	4.00	4.00	3.98	4.00	4.20	3.78	4.00
5.	संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम	41.49	117.50	115.55	80.00	68.12	67.58	75.00	74.00	72.56	75.00
6.	स्ट्रीट फूड स्कीम	5.00	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	–
7	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.00	0.00	0.00	250.00	185.32	182.90	187.00	30.50	29.72	180.00
8	पूँजी खंड	95.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल-योजना	**600.00**	**550.00**	**518.84**	**660.00**	**660.00**	**655.88**	**708.00**	**550.00**	**527.96**	**770.00**
	घटाई गई वसूलियां	–	–	3.77	–	–	4.17	–	–	0.71	–
	सकल योग-योजना(क)	**600.00**	**550.00**	**515.07**	**660.00**	**660.00**	**651.71**	**708.00**	**550.00**	**527.25**	**770.00**
	गैर-योजना (ख)	**10.09**	**10.09**	**8.80**	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.98**	**15.86**
	घटाई गई वसूलियां	–	–	0.05	–	–	–	–	–	0.02	–
	सकल योग-गैर योजना(ख)	**10.09**	**10.09**	**8.75**	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.96**	**15.86**
	सकल निवल योग {(क)योजना+(ख)गैर-योजना)}	**610.09**	**560.09**	**523.82**	**670.54**	**670.16**	**661.28**	**719.11**	**564.32**	**541.21**	**785.86**
	पूर्वोत्तर के लिए एक मुश्त प्रावधान	60.00	55.00	31.08	66.00	66.00	64.98	70.80	55.00	37.58	77.00

* पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में किए गए व्यय को बजट के पूनर्विनियोजन के पश्चात तत्संबंधी कार्यकारी शीर्ष के अंतर्गत लिखा गया है ।

विषय शीर्ष-वार व्यय का रुझान 2011-12, 2012-13, 2013-14 और ब.अ. 2014-15

क्र.सं	क- विषय शीर्ष-वार वर्गीकरण (योजना)	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15
		ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.
1	वेतन	2.00	2.05	1.74	2.85	2.85	2.65	3.00	3.00	2.93	3.30
6	चिकित्सा	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.04	0.15	0.15	0.07	0.15
11	घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.75	0.75	0.80
12	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	0.75	0.75	0.54	0.75	0.75	0.51	0.90	0.75	0.48	0.80
13	कार्यालय व्यय (ओई)	1.10	1.10	0.49	1.10	1.10	1.10	1.35	1.35	1.35	1.35
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1.40	0.95	0.41	1.25	1.26	1.18	1.85	1.83	0.80	0.75
21	आपूर्ति एवं सामग्री	0.10									
26	विज्ञापन एवं प्रचार	6.80	7.60	7.86	5.63	2.81	2.61	3.13	1.45	1.64	1.50
28	व्यवसायिक सेवाएं	12.29	7.50	7.63	7.70	4.14	4.01	9.20	6.82	5.79	6.51
31	सामान्य अनुदान-सहायता	413.831	393.371	418.840	477.16	386.43	429.88	402.84	403.50	434.65	469.37
35	पूँजी परिसंपति के सृजन हेतु अनुदान	0.00	80.00	80.00	41.00	41.00	41.00	45.98	39.98	39.98	36.20
36	अनुदान-सहायता-वेतन	--	--	--	--	--	--	8.00	9.00	9.00	9.25
50	अन्य व्यय	0.95	0.86	0.73	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.90
53	मुख्य कार्य	95.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	राज्य सरकार को अनुदान-सहायता	4.76	0.26	0.11	40.40	145.06	166.24	150.40	25.06	29.72	157.06
31	संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान-सहायता	0.02	0.02		15.06	7.50	5.66	9.00	0.56		5.06
58	सिक्किम सहित पूर्वांतर क्षेत्र के लिए प्रावधान	60.00	55.00	*	66.00	66.00	*	70.80	55.00	*	77.00
	कुल (क)-योजना	600.00	550.00	518.84	660.00	660.00	655.88	708.00	550.00	527.96	770.00
	वसूलियां			3.77			4.17			0.71	
	सकल योग (योजना)	600.00	550.00	515.07	660.00	660.00	651.71	708.00	550.00	527.25	770.00
	ख-विषय शीर्ष-वार वर्गीकरण (गैर-योजना)										
1	वेतन	5.622	5.622	5.51	6.08	6.70	6.61	7.68	8.02	7.97	9.01
3	समयोपरि भता (ओटीए)	0.065	0.065	0.04	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06
6	चिकित्सा	0.134	0.134	0.02	0.14	0.03	0.04	0.05	0.02	0.01	0.07
11	घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	0.224	0.224	0.23	0.22	0.35	0.25	0.30	0.41	0.38	0.60
12	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	0.45	0.45	0.23	0.45	0.20	0.16	0.20	0.05	0.04	0.10
13	कार्यालय व्यय (ओई)	3.09	3.09	2.32	3.06	2.41	2.11	2.43	2.40	2.20	2.54
16	प्रकाशन	0.10	0.1	0.07	0.10	0.13	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.20	0.20	0.19	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.13	0.22
28	व्यवसायिक सेवाएं	0.005	0.005		0.01			0.01	0.01		0.05
32	योगदान							0.15	0.12	0.11	0.15
36	अनुदान-सहायता-वेतन								3.00	3.00	3.00
42	एक मुश्त प्रावधान	0.20	0.20	0.19	0.21	0.21	0.20	0.06	0.06	0.06	
	कुल- (ख)गैर-योजना	10.09	10.09	8.80	10.54	10.16	9.57	11.11	14.32	13.96	15.86
	वसूलियां			0.05						0.02	
	निवल योग (गैर-योजना(ख))	10.09	10.09	8.75	10.54	10.16	9.57	11.11	14.32	13.96	15.86
	सकल निवल योग {(क)योजना+(ख)गैर-योजना)}	610.09	560.09	523.82	670.54	670.16	661.28	719.11	564.32	541.21	785.86
	* पूर्वांतर क्षेत्र के संबंध में किए गए व्यय को बजट के पूर्वविनियोजन के पश्चात तत्संबंधी कार्यकारी शीर्ष के अंतर्गत लिखा गया है ।										

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

दिनांक 31.03.2013 तक जारी की गई तथा 01.04.2014 तक देय अनुदान-सहायता से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सं.	राशि (करोड़ रुपए)
2842	556.36

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित बची हुई राशि

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 31.03.2014 तक बची हुई अव्ययित राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	दिनाक 31.03.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	0.00
2.	बिहार	2.7650
3.	छतीसगढ़	2.7800
4.	गोवा	1.7550
5.	गुजरात	1.7025
6.	हरियाणा	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2.2475
8.	जम्मू एवं कश्मीर	3.1300
9.	झारखंड	2.4075
10.	कर्नाटक	0.0575
11.	केरल	4.2325
12.	मध्य प्रदेश	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.6625
14.	ओडिशा	3.1500
15.	पंजाब	1.9400
16.	राजस्थान	2.3175
17.	तमिलनाडु	4.6500
18.	उत्तर प्रदेश	13.4825
19.	उत्तराखंड	2.2325
20.	पश्चिम बंगाल	0.00
कुल		**49.5125**

6--306 मिनि. ऑफ एफ पी आई/2014

पूर्वोत्तर राज्य

क्र.सं.	राज्य	दिनाक 31.03.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.3100
2.	असम	2.8225
3.	मणिपुर	2.8425
4.	मेघालय	2.9500
5.	मिजोरम	2.9675
6.	नागालैंड	1.8625
7.	सिक्किम	1.5900
8.	त्रिपुरा	2.6850
	कुल	**21.0300**

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	दिनाक 31.03.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि
1.	अंडमान एवं निकाबार द्वीपसमूह	1.9800
2.	चंडीगढ़	0.00
3.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00
4.	दमन एवं दीव	0.00
5.	दिल्ली	2.0475
6.	लक्षद्वीप	1.6875
7.	पुद्दीचेरी	0.9750
	कुल	**6.6900**

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1. <u>भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी), तमिलनाडु</u>

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जो पहले धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था तंजावुर में स्थित है । बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करके भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अभिहित किया गया ।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान की कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला शीर्ष निकाय है । सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं ।

संस्थान के 6 विभाग हैं अर्थात;

1. शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास खाद्य इंजीनियरी एवं डिजाइन
2. खाद्य पैकिंग उपकरण एवं प्रणाली विकास
3. खाद्य उत्पाद विकास
4. खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता परीक्षण
5. प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण एवं संचालन
6. प्रौद्योगिकी प्रसार

<u>संस्थान का विजन</u>

- दलदली एवं तूफान प्रवण क्षेत्रों की फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना ।
- चक्रवात/तूफान प्रवाण क्षेत्रों तथा दलदली क्षेत्र साथ ही बागवानी, मसालों एवं अन्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादउत्तर क्षेत्र में बुनियादी, व्यावहारिक और स्वीकार्य अनुसंधान कराना ।
- अनिवार्य फसलों के उत्पादनोत्तर प्रणालियों की सूचना हेतु राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करना ।

- कच्ची एवं प्रसंस्कृत कृषि वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी, परामर्श और विश्लेषणात्मक सेवाओं का अंतरण करना ।
- लक्ष्यों को प्रभावी ढँग से प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों तथा अन्य शैक्षणिक व अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ लिंकेज स्थापित करना ।

<u>शिक्षा-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2009-10 के शैक्षणिक वर्ष से खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी में बी-टैक, एम-टैक और डॉक्ट्रेट स्तर के पाठ्यक्रम और वर्ष 2013-14 के शैक्षणिक वर्ष से एम-टैक (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम चला रहा है । संस्थान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है । छात्रा की वार्षिक प्रवेश क्षमता है

- बी.टैक : 40 छात्र
- एम.टैक: 20 छात्र
- पीएचडी. 05 छात्र

संस्थान अब तक 100% प्लेसमेंट कराने में सफल रहा है । आईआईसीपीटी ने अपने बी-टैक (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का अनुमोदन प्राप्त किया है । एआईसीटीई का अनुमोदन आईआईसीपीटी के शैक्षणिक कार्यक्रम में जन्म विश्वास बढ़ाने तथा उच्च गुणवत्ता के विद्यार्थी तथा संकाय आकर्षित करने में मदद करेगा ।

<u>अनुसंधान-</u> इस समय 16 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं जो आंतरिक रूप से वित्त-पोषित हैं और 9 अनुसंधान परियोजनाओं को बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया है । ये भी फैकल्टी द्वारा चलाई जा रही है । 2013-14 में प्रतिष्ठित जनरल में कुल 30 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे । आईआईसीपीटी तंजावुर ने भारत के 11 राज्यों में धान की परीक्षण मिलिंग संचालित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

<u>विकसित की गई प्रौद्योगिकियां-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने खाद्य उद्योग के पणधारियों के लाभ हेतु व्यापक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं । कुछ अन्वेषण हैं:

उच्च नमी धान परिरक्षण, एकीकृत स्टोरेज पेस्ट्स प्रबंधन, बहु-उद्देश्य यार्ड ड्राइंग इम्पलिमेंट, निम्न घर्षण हुल्लर, इडली ड्राइ-मिक्स, कंटीन्युस राइस पफिंग मशीन, राइस हस्क एश से बायो फर्टिलाइजर, बहिर्स्राव उपचार संयंत्र, वैजिटेवल वाशर, न्यूमेंटिक ग्रेन

पम्प, फल एवं सब्जी ग्रेडर, हस्तचालित आँवला बीज निष्क्रमण यूनिट, केला डी-हैंडर, केला हैंड कटर, केला वाशिंग कम वैक्सिंग यूनिट, मखाना प्रसंस्करण यूनिट, नारियल जल निष्क्रमण यूनिट, राइस ब्रान प्रोटीन आइसोलेट, दाल आधारित प्रो-बायोटिक फूड्स, मिलिंग उप-उत्पादों से आरटीई निस्सारित उत्पाद और मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम- भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं । खाद्य प्रसंस्करण व्यापार उद्भवन केंद्र खाद्य प्रसंस्करण की बुनियादी विशेषताओं और उद्यमशिलता विकास के संबंध में किसानों, स्वःसहायता समूहों और महत्वाकांक्षी युवकों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है । खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता प्रशिक्षण विभाग छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उच्च तकनीक यांत्रिक प्रशिक्षण चलाता है ।

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान 25 अफ्रीकी प्रतिभागियों (12 अफ्रीकी देशों के) के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में 2 सप्ताह का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया है । इस आयोजन को इंडो-अफ्रीकन –समिट-II (आईएएफएस-II) अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराया गया था ।

खाद्य प्रौद्योगिकी के संबंध में भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था । इस दो-द्विसीय सम्मेलन में देश के लगभग 45 संस्थानों से 1200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था । 2013-14 में भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित 10 प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी की है । खाद्य प्रौद्योगिकी के संबंध में पहले छात्र सम्मेलन (स्कॉफटेक-2014) के हिस्से के रूप में भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा स्वयं ऐसी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी । इन आयोजनों के दौरान भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों और गैजटों का प्रदर्शन किया गया था ।

सहयोग- भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने पूरे देश और विदेश के प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग किया है । इसने 14 अंतर्राष्ट्रीय और 12 राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों पर पारस्परिक लाभदायी शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास, शिक्षण एवं अनुसंधान के प्रयोजन से शैक्षणिक स्टाप के विनिमय, संयुक्त अनुसंधान, व्याखानों और प्रशिक्षण तथा अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु छात्रों के विनिमय के प्रयोजन से हस्ताक्षर किए गए थे । छात्र

विनिमय कार्यक्रम के संदर्भ में 9 छात्र विदेशी भागीदार संस्थानों जैसे अमेरिका में नेब्रास्का विश्वविद्यालय, सस्केजवान विश्वविद्यालय तथा कनाडा में मनीटेवा विश्वविद्यालय व ओएनआईआरआईएस फ्रांस में अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए गए थे ।

<u>बजट-</u> वर्ष 2013-14 के लिए योजना के अंतर्गत भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का परिव्यय 13.00 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए का परिव्यय था । 2014-15 के लिए बजट अनुमान योजना के अंतर्गत 7.26 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 3.00 करोड़ रुपए है ।

II. <u>राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)</u>

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की 479.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में स्थापना की गई थी । राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को 19.05.2010 को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 08.05.2012 को डी-नोवो श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था । संस्थान ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र बी-टैक (खाद्य प्रौद्योमिकी एवं प्रबंधन) में 115 छात्रों और एम-टैक की 5 शाखाओं में 88 छात्रों के साथ 16.08.2012 से अपना पहला सत्र शुरू किया । दूसरा शैक्षणिक सत्र बी-टैक में 174 छात्रों और एम-टैक की 5 शाखाओं में 89 छात्रों को प्रवेश देकर 06.08.2013 से शुरू किया गया । पीएचडी कार्यक्रम 9 छात्रों को प्रवेश देकर वर्ष 2013-14 के शैक्षणिक सत्र से सभी 5 परा-स्नातक शाखाओं में शुरू किया गया । विश्वविद्यालय को बी-टैक (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन) और एम-टैक के 5 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन दिया गया है ।

निफ्टेम का अधिदेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के क्षेत्र प्रोत्साहन संगठन के रूप में कार्य करना है इसके अधिदेश से लिए गए निफ्टेम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए "एक बिंदु समाधान प्रदाता" के रूप में कार्य करना ।
- क्षेत्र के लिए "कौशला विकास" तथा "उद्यमशीलता विकास" के लिए कार्य करना ।

- फलों और सब्जियों, डेयरी, मांस और अनाज प्रसंस्करण के लिए अति आधुनिक प्रायोगिक संयंत्र सहित व्यापार इन्क्यूबेशन सेवाएं प्रदान करना ।
- क्षेत्र के विकास के लिए अग्राणी क्षेत्र अनुसंधान का आयोजन करना ।
- खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीक के साथ विश्वस्तरीय प्रबंधन प्रतिभा का विकास करना ।
- विनियमों के लिए बौद्धिक समर्थन प्रदान करना जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के अभिशासन सहित नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा ।
- खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पक्षों जैसे उत्पाद सूचना, उत्पाद और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, बाजार के रुझान, सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तथा प्रबंधन पर ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना ।
- एसएमई खाद्य प्रसंस्करण समूहों के उन्नयन हेतु कार्य करना ।
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में मौजूदा संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का प्रोत्साहन देना ।

<u>अनुसंधान-</u> राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ने खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के संगत क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने और उनकी मानिटरिंग करने के लिए एक अनुसंधान प्रकोष्ट की स्थापना की है । अनुसंधान परियोजनाओं को आंतरिक रूप से वित्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था ताकि आंतरिक संकाय सदस्य तत्काल अनुसंधान परियोजना शुरू कर सकें । आंतरिक संकाय सदस्यों द्वारा अनुसंधान के लिए 11 अनुसंधान परियोजनाएं चुनी गई है और 17 अनुसंधान परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है । संस्थान को एक बाह्य एजेंसी अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा एनडीआरआई करनाल के सहयोग से अनुसंधान परियोजना का कार्य भी दिया गया है । संस्थान ने निफ्टेम अनुसंधान विकास परिषद की स्थापना की है जिसमें उद्योग, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल है जो निफ्टेम का भावी अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करेगी ।

<u>उद्योग के लिए क्षमता निर्माण-</u> खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के क्षेत्र संवर्धन संगठन के रूप में अपने अधिदेश को पूरा करने के क्रम में निफ्टेम ने परामर्शी प्रभाग, एसएमई उन्नयन प्रभाग तथा दक्षता विकास प्रभाग के नाम से तीन प्रभागों की स्थापना की है । संस्थान ने अपने दक्षता विकास पहल के एक भाग के रूप में अपने परिसर में जुलाई, 2011 से मार्च, 2014 तक जनशक्ति के सम्पूर्ण दक्षता

स्तर में वृद्धि तथा उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए अपने ज्ञान सहयोगियों के साथ 30 लघु अवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है । अब तक उद्योगों से 624 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है । उपर्युक्त के अलावा एक सप्ताह तथा दो सप्ताह के 11 दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर संचालित किए गए हैं और उनमें किसानों तथा उभरते हुए उद्यमियों में से 550 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है । इसके अतिरिक्त निफ्टेम वर्ष 2014-15 के दौरान 12 एक सप्ताह के कार्यक्रमों, 10 दो सप्ताह के कार्यक्रमों तथा 2 पाँच सप्ताह वाले कार्यक्रमों के संचालन की योजना बना रहा है ।

<u>आउटरीच कार्यक्रम-</u> मार्च, 2014 तक उभरते हुए उद्यमियों की संवेदनशीलता के लिए फतुहाँ (पटना) तथा लोनी, अहमद नगर 'महाराष्ट्र) में 2 आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन किया गया है और इनमें क्रमशः 500 तथा 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया है । वर्ष 2014-15 के दौरान निफ्टेम एक दिन, एक सप्ताह तथा दो सप्ताह के 17 आउटरीच कार्यक्रमों के संचालन का प्रस्ताव कर रहा है ।

<u>ग्राम दत्तककरण कार्यक्रम-</u> निफ्टेम ने जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं तथा उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के संबंध में अपने छात्रों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से ग्राम दत्तककरण के एक अनोखे कार्यक्रम की परिकल्पना की है । निफ्टेम के छात्रों द्वारा 19 राज्यों में 34 गाँवों को अच्छादित करते हुए ग्राम दत्तककरण कार्यक्रम के 6 चरण पूरे किये जा चुके हैं ।

<u>सहयोग-</u> निफ्टेम ने संकाय/छात्रों अदला-बदली कार्यक्रम, अनुसंधान तथा सामान्य रूचि के अन्य विषयों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए वगेनिंग विश्वविद्यालय, नीदरलैंड्स, कंसास राज्य विश्वविद्यालय, मैनहट्टन, यूएसए, नब्रास्का विश्वविद्यालय- लिंकन, यूएसए तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान, इलिनॉयस प्रौद्योगिकी संस्थान, शिकागो के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

<u>छात्र नवाचार निधि-</u> निफ्टेम ने अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार प्रेरित शिक्षा के संवर्धन हेतु अपने छात्रों के लिए छात्र नवाचार निधि का सृजन किया है । इसमें छात्रों द्वारा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

<u>निफ्टेम उद्योग मंच-</u> यह मंच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है । यह भविष्य की प्रौद्योगिकी, अनुसंधान उद्यमिता विकास, दक्षता विकास तथा उद्योगों के लिए परामर्शिता इत्यादि के लिए निफ्टेम की कार्यसूची तैयार करने हेतु एक मुख्य सलाहकारी निकाय होगा ।

अंतर्राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र- संस्थान ने बाजार को प्रोत्साहित करने, उपभोग तथा भारतीय अनाजों एवं उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है । केंद्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय बेकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र- संस्थान ने आंतरिक तथा बाह्य रूप से समर्थित सतत अनुभव परक शिक्षण को सुगम बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बेकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है । केंद्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता उत्कृष्टता केंद्र- संस्थान खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता की वर्तमान समस्या पर समग्रता से विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की प्रक्रिया में है । सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों के रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक विश्लेषण के लिए इस केंद्र के एक भाग के रूप में एक अत्याधुनिक प्रत्यायित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है ।

बजट- निफ्टेम के लिए वर्ष 2013-14 का परिव्यय 52.98 करोड़ रुपए था तथा वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 49.92 करोड़ रुपए है । वर्ष 2014-15 के दौरान निफ्टेम बी-टैक में 180 छात्रों को, एम-टैक में 90 छात्रों को तथा पीएचडी में 20 छात्रों को खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा । निफ्टेम सभागार, सेमिनार हॉल, विभागों तथा उपयोगिता संयंत्र का दूसरा तल एवं छात्रावासो समेत अपनी अवसंरचना को पूरा करेगा । निफ्टेम एनएमपीपीबी प्रयोगशाला तथा आंशिक रूप से शुरू हुए प्रायोगिक संयंत्रों को शुरू करेगा । इसी अवधि के दौरान निफ्टेम 24 दक्षता विकास कार्यक्रमों तथा 26 ग्राम दत्तककरण कार्यक्रमों को भी शुरू करेगा । वर्ष के दौरान निफ्टेम द्वारा 10 बाहरी परियोजनाओं को शुरू करने तथा समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिकाओं में 10 अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन करने की भी संभावना है । निफ्टेम के लिए 479.94 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय में से 425.17 करोड़ रुपए संस्थान को 31.03.2014 को जारी कर दिए गए हैं ।

III. <u>राष्ट्रीय माँस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी)</u>- राष्ट्रीय माँस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का गठन 27 फरवरी, 2009 को किया गया था तथा 26 मार्च, 2009 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया था । बोर्ड अपने किराए के परिसर 7/6, एसोसिएशन ऑफ म्यूनिसपेलिटी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 से कार्य कर रहा है ।

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के संधारणीय विकास का पोषण करना ।
- स्वच्छ एवं स्वस्थ्यकर माँस एवं माँस उत्पादों तथा बूचड़खानों के अपशिष्ट के उपयोग से मूल्यवृद्धि द्वारा जानवरों के उप-उत्पादों को तैयार करने हेतु तकनीकी सलाह द्वारा बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण में उद्योग की सहायता करना ।
- माँस उत्पादकों तथा उद्यमियों को माँस उत्पादन में अच्छी निर्माण पद्धतियों (जीएमपी), हैजर्ड एनालिसिस एवं क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट्स (एचएसीसीपी) तथा आईएसओ 22000 को अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित करना ।
- माँस तथा माँस उत्पादन, प्रक्रिया एवं विपणन से संबंधित भारत के मौजूदा नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र स्थापित करना ।
- माँस क्षेत्र के विकास के लिए बाजार सर्वेक्षण और बाजार आसूचना, डाटा-बेश का नियमित आधार पर प्रसारण में उद्योग की सहायता करना ।

<u>आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार-</u> एनएमपीपीबी ने देश के माँस/पॉल्ट्री क्षेत्र के कामगारों तथा कसाइयों को पशुबध के दौरान स्वच्छकर पद्धतियों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है । बोर्ड ने वर्ष 2013-14 के दौरान माँस से संबंधित कामगारों तथा कसाइयों के लिए इस प्रकार के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया है ।

1.	27.08.2013	स्वच्छ एवं सुरक्षित माँस उत्पादन	बरेली, उ. प्र.
2.	03.12.2013	स्वच्छ एवं सुरक्षित माँस उत्पादन	मुरादाबाद, उ.प्र.

दिनांक 15 नवम्बर, 2013 को ईंटानगर, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के सहयोग से निदेशक उद्योग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा "माँस की दुकानों का आधुनिकीकरण" विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था ।

एनएमपीपीबी ने भारतीय पैकिंग संस्थान (आईआईपी) के सहयोग से 18 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता पैकिंग सम्मेलनः चुनौतियाँ एवं अवसर विषय पर "माँस उत्पादों के लिए नवोन्मेषी उपभोक्ता पैकिंग" के एक विशेष सत्र का संचालन किया था ।

<u>परामर्श स्कंध-</u> एनएमपीपीबी नये बूचड़खानों की स्थापना तथा मौजूदा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ डीपीआर तैयार करने, निविदा दस्तावेजों आदि तैयार करने में तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है ।

एनएमपीपीबी द्वारा धौलपुर नगर पालिका परिषद, धौलपुर (राजस्थान) के आधुनिक बूचड़खाना परियोजनाओं, मौकोचुंग नगर पालिका परिषद, मौकोचुंग (नागालैंड), मैसर्स एओवी एग्रो फूड प्रा.लि., मेवात (हरियाणा) तथा बृहद-मुंबई नगर –महापालिका, देवनार, मुंबई (महाराष्ट्र) स्थिर बूचड़खाने की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की हैं ।

<u>मेयर सम्मेलन-</u> क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के मामलों पर जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से एनएमपीपीबी "मेयर सम्मेलनों" की श्रृंखला आयोजित करता रहा है । प्रत्येक सम्मेलन में एक या दो दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें भाग लेने वालों को आधुनिक बूचड़खानों/वधशालाओं को स्थापित करने के लाभों के साथ-साथ माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के मामलों पर संवेदनशील बनाया जाता है ।

<u>अध्ययन-</u> देश में माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के मुख्य मुद्दों को समझने के लिए बोर्ड ने क्षेत्र में सुधार करने के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया है । बोर्ड ने निम्नलिखित अध्ययन रिपोर्टें जारी की हैं:-

क) माँस क्षेत्र में गुणवत्ता मामले

ख) बूचड़खानों की बेंचमार्किंग

ग) माँस उद्योग के श्रमिकों का समाजार्थिक उन्नयन

घ) पॉल्ट्री माँस क्षेत्रः स्थिति तथा सुधार

रिपोर्टों को एनएमपीपीबी की वेबसाइट अर्थात nmppb.gov.in पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड कर दिया गया है । 28.02.2014 को हुए 7वें मेयर सम्मेलन के दौरान भारत में माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र को समृद्ध करने के विषय पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी ।

बोर्ड को 12वीं योजना के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है ।

IV. <u>भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (आईजीपीबी):-</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ।भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी- अनुसंधान एवं विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, विस्तार, गुणवत्ता उन्नयन, बाजार संबंधी अनुसंधान एवं सूचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वाईन का प्रचार: विश्लेषण हेतु सुविधाएं प्रदान करना, लेबल मानक और "गुणवत्ता" उल्लेख का परीक्षण, वाईन का प्रमाणन और गुड मैन्यूफैक्चूरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी), हैजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एच.ए.सी.सी.पी.)/आईएसओ-22000 को बढ़ावा, उत्पादकों एवं वाईन उद्योग के मध्य बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज, सहकारी प्रयासों को सामान्य तौर पर प्रोत्साहन, दृष्टिकोण का प्रतिपादन, नई तकनीकों/प्रणालियों में गुणवत्ता वर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य सहित भारतीय वाईन क्षेत्र के विकास हेतु कार्य योजना का प्रतिपादन और भारतीय वाईन क्षेत्र के निर्वहनीय विकास को पोषित करना ।

<u>अपेक्षित निष्कर्ष</u>:-भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के अपेक्षित इस प्रकार होंगेः

- किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाना, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, अपशिष्ट में कमी और अंगूरों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ शराब को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके ।

- घरेलू बाजारों और निर्यातों की बढ़ती मांग को संतुष्ट करना ।
- किसानों की आय तथा रोजगार उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों पर एक विशेष फोकस सहित बढ़ाना ।
- क्लस्टर खेती, संविदा खेती और खेत विविधीकरण को बढ़ावा देना ।
- किसान समुदाय के लिए मूल्यवर्धन के लाभ और किसानों को अपनी उपज के लिए आकर्षक मूल्य दिलवाना ।

बोर्ड में अध्यक्ष, जो कि शराब उद्योग में एक जाने माने व्यावसायिक होते है, सहित 16 सदस्य होते है । बोर्ड को 12वीं योजना के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है ।

****

संक्षिप्त रूपों की सूची

एई	वास्तविक व्यय
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
बीई	बजट अनुमान
सीए	नियंत्रित वातावरण
सीसीईए	मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति
सीएसएस	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम
डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
डीएसटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
ईडीपी	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
एफपीटीसी	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र
एफटीएल	खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला
जीएचपी	अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां
जीएमपी	अच्छी विनिर्माण पद्धतियां
एचएसीसीपी	हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईएएफएस	भारत- अफ्रीका समिति
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईजीपीबी	भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड
आईआईसीपीटी	भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान
आईक्यूएफ	इंडीविजवली क्विक फ्रोजन
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
एलएलपीडी	लाख लीटर प्रतिदिन
एमए	संशोधित वातावरण
एमएफपी	मेगा खाद्य पार्क
एमएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमटी	मिट्रिक टन

एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनआईएफटीईएम	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान
एनएमएफपी	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
एनएमपीपीबी	राष्ट्रीय माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड
पीएसी	प्रस्ताव अनुमोदन समिति
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरई	संशोधित अनुमान
आरटीई	खाने के लिए तैयार
एसईआरबी	विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसएनए	राज्य नोडल एजेंसी
टीएससी	तकनीकी जाँच समिति

मुनिभासमुफ--306 मिनि. ऑफ एफ मी आई/2014--5.8.2014--500 किताबें।